



मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

दिनांक – 09 नवम्बर 2021

आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

संदर्भ : पत्र क्रं- एफ 2-13/2021/सात-7 दिनांक 28/10/2021

- ❖ आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना।
- ❖ आबादी क्षेत्र सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।
- ❖ अपर्याप्त आबादी भूमि होने पर पृथक आबादी क्षेत्र घोषित करना।
- ❖ परिवार से अभिप्रेत है पति-पत्नि तथा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री



ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया





- ❖ सारा पोर्टल (<http://saara.mp.gov.in/>) के माध्यम से योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
- ❖ सारा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक "**मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना**" पर क्लिक कर नवीन आवेदन हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा।
- ❖ नवीन आवेदन में समग्र नंबर अनुसार नाम आदि जानकारी उपलब्ध होगी।
- ❖ आवेदन भरने हेतु मोबाईल नंबर अनिवार्य है, जिसके माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर आवेदन ऑनलाईन जमा किया जा सकता है।



- ❖ आवेदन भरने के उपरांत दिए गए आधार नंबर हेतु ई-केवायसी का ऑप्शन उपलब्ध होगा।
- ❖ ई-केवायसी मोबाइल ओटीपी/बायोमेट्रिक के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। तदुपरांत आवेदन अंतिम रूप से सुरक्षित होगा।
- ❖ ई-केवायसी की प्रक्रिया को फार्म भरने के समय पूर्ण न होने पर आवेदन संचर कर ई-वायसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है।
- ❖ ई-केवायसी पूर्ण होने पर पृथक से आवेदन पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा।



- ❖ आवेदन भरने के उपरांत आवेदन का प्रिंट सारा पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए पृथक से डाउनलोड ऑप्शन भी दिया गया है।
- ❖ आवेदन डाउनलोड एवं ई-केवायसी हेतु एप्लीकेशन नंबर एवं मोबाईल नंबर दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है।
- ❖ एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने हेतु मोबाईल नंबर एवं समग्र आईडी अंकित कर एप्लीकेशन नंबर को खोजा जा सकता है।

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया



सारा एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA)
राजस्व विभाग, महाराष्ट्र शासन

Headlines से हालत जानिए सरकारी : 100000 [लॉगिन](#)

FASAL GIRDAWARI

फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपायी, बैंक ऋण, योजनाओं के लाभ लेने आदि में महत्वपूर्ण होती है।

सारा पेज के होम पेज पर लिंक उपलब्ध है

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
मुख्यमंत्री दारु रोग मुक्ति योजना

फसल गिरदावरी
140000 140000 140000

पीएम किसान
PM - KISAN

लघु सिंचाई संगणना
M-40 NOTES

Type here to search

21°C 11:04 PM 16/09/2021

सारा पेज के होम पेज पर लिंक उपलब्ध है

आवेदन करें पर क्लिक करें

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा निर्देश

आवेदन के दिशा निर्देश

ग्रामीण परिवार को मुक्तमूलक आवासनगतियों के साथ प्रतिभापूर्वी जीवन समान करने का अधिकार है। केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं का प्रतिबन्धित न हो आवास भू-अधिकार प्राप्त होने पर ही आवासन रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-अधिकार प्राप्त होने पर आवासीय भू-अधिकार प्राप्त होने के बाद ही लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र की भूमि पर मात्र परिवारों को आवासीय भू-अधिकार उपलब्ध कराने के लिये 'ग्रामीणों को आवासीय भू-अधिकार योजना' प्रारम्भ की जा रही है।

पात्रता

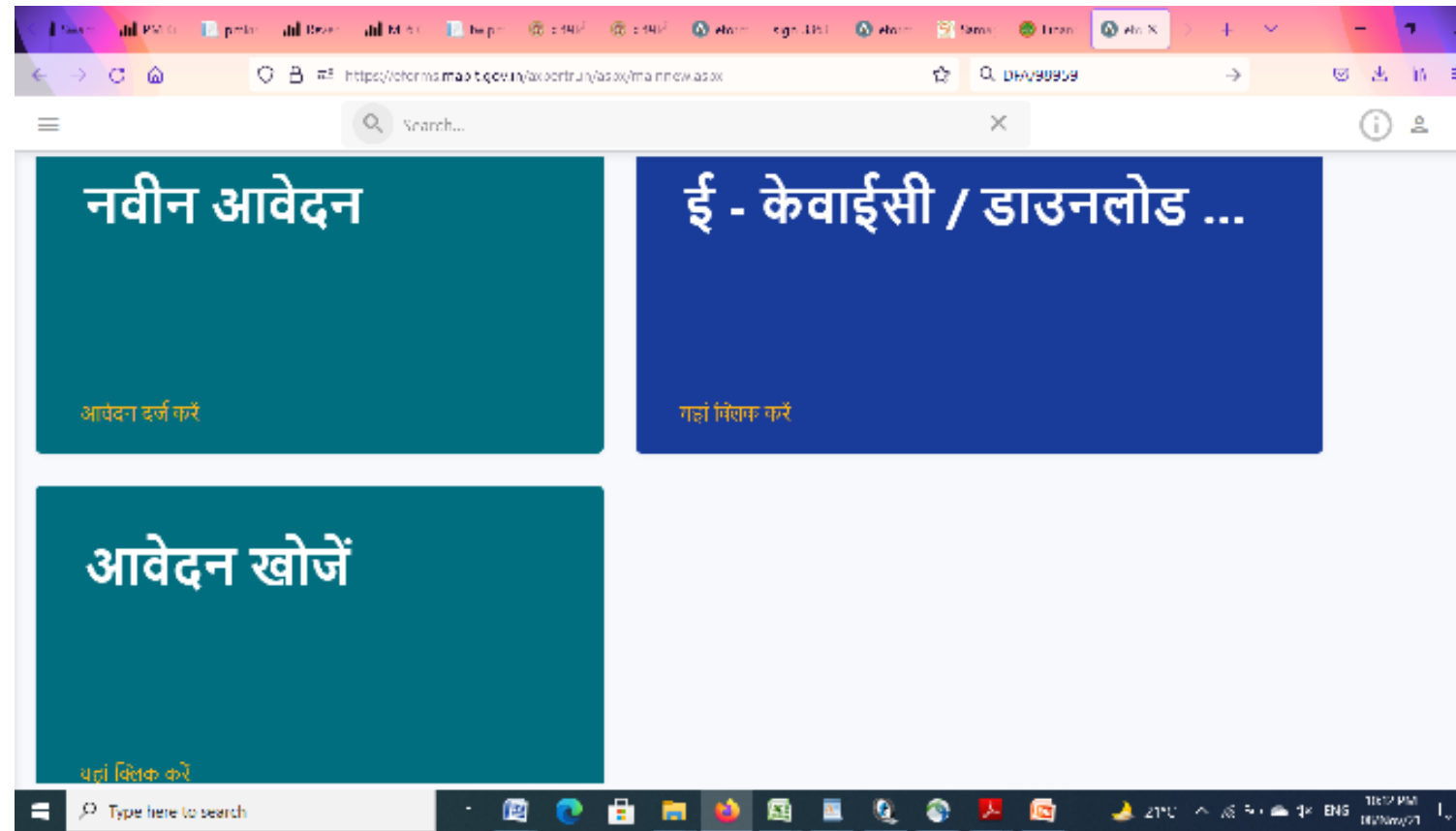
(क) आवेदनक परिवार के पास स्वतन्त्र रूप से रहने के लिये आवास नहीं है।
 (ख) आवेदनक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
 (ग) आवेदनक परिवार सरकारी/अर्धसरकारी/ग्रामीण/कुल्लू से सम्बन्धित करने के लिये पात्रता नहीं दर्शाते करता है।
 (घ) आवेदनक परिवार का कोई भी सदस्य आगन्तुक आवास नहीं है।
 (ङ) आवेदनक परिवार को कोई भी सरकारी या अर्धसरकारी सेवा नहीं मिली है।
 (च) आवेदनक का नाम राजा राज में नहीं पड़ता। आवासीय भू-अधिकार नहीं है। विनिर्दिष्ट या अनप्राप्त। अतः तब तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।

प्रक्रिया

(1) आवेदनक द्वारा आवासीय भू-अधिकार प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन (आवेदन पोर्टल) के माध्यम से प्रेषित करना होगा।
 (2) उक्त प्रेषित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु भेजित किया जाएगा।
 (3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
 (4) प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परामर्शदात्री/ग्राम पंचायत/आवास आवेदनकर्ता की सुनी तैयार की जाएगी।
 (5) आवेदनक परिवारों की ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत/ग्राम के निवासियों से आवासीय या अर्धसरकारी भूमि प्राप्त की जाएगी। सुचना पोषण, गृही, पटवारी और सार्वजनिक स्वतंत्र तथा ग्राम पंचायत कार्यलयों में प्रकाश की जाएगी।
 (6) आवेदनक द्वारा सुचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर उपस्थित और सुचना का परीक्षण करेगा और फिर, अपना आवेदनकर्ता की सुनी तैयार करेगा।
 (7) आवेदनक द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत के अंतर्गत हेतु भेजित करेगा जो ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत के अंतर्गत हेतु भेजित करेगा। जिस पर आवेदनक द्वारा आवेदन हेतु आवेदन प्रेषित करेगा।

[आवेदन करें](#)

आवेदन दर्ज करें पर
क्लिक करें



ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया



समस्त जानकारी
भरने के उपरांत फार्म
सेव करें

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु आवेदन

आवेदन क्रमांक: /Auto Application Date: 09/07/2021

1. आवादी भूमि पर भूमिसायी अधिकार प्राप्त करने हेतु निम्न स्थल

जिला	तहसील	पटवारी हल्का	हल्का संख्या
		ALL	9999
ग्राम का नाम	ग्राम संख्या		

2. (i) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

1. आधार नंबर	2. समग्र आईडी	3. आवेदक का नाम प्रथम	मध्य	अंतिम
		Applicant First Name	Applicant Middle Name	Applicant Last Name
4. आवेदक के पिता/पति का नाम	5. आवेदक की जन्म दिनांक	6. लिंग		
	09/07/2009	☐ महिला ☐ पुरुष ☐ दूसरे		

☒ Save Details

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया



मोबाईल नंबर एवं
समग्र आईडी से
जानकारी को सर्च
कर सकते हैं।

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया



फार्म भरने के उपरांत ई-केवायसी पृथक से किया जा सकता है एवं एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड किया जा सकता है

The screenshot displays the 'EYC / Download Application Record' web portal. The page has a header with a search bar and a navigation menu. The main content area contains a table with the following columns: 'Application Number' and 'Mobile Number'. The first row of the table shows 'APPNO-000000' in the Application Number column and a redacted mobile number in the Mobile Number column. Below the table, there are two buttons: 'Download Receipt' and 'Download EYC'.

Application Number	Mobile Number
APPNO-000000	[REDACTED]

[Download Receipt](#)

[Download EYC](#)



सारा एप के माध्यम से जांच प्रतिवेदन



- ❖ प्राप्त आवेदन ग्रामवार संबंधित पटवारी को एप पर उपलब्ध होंगे।
 - ❖ एप में प्राप्त आवेदन को सर्च करने की सुविधा होगी, जिसमें आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।
 - ❖ जांच प्रतिवेदन सारा एप के माध्यम से ही भेजा जावेगा।
 - ❖ सारा एप पर मोबाईल स्क्रीन के माध्यम से संयुक्त हस्ताक्षर की सुविधा होगी।
 - ❖ जिस आवेदन में ई-केवायसी पूर्ण नहीं किया गया है, उस आवेदन पर आवेदक से हस्ताक्षर कराकर फार्म प्रकरण में सुरक्षित रखा जावेगा।
-

SAARA to RCMS Case





- ❖ आवेदन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने सारा पोर्टल के माध्यम से जानकारी RCMS पोर्टल पर भेजी जावेगी।
- ❖ ग्रामवार दर्ज केस नंबर की जानकारी सारा पोर्टल पर अवलोकन हेतु उपलब्ध होगी।
- ❖ RCMS पर नियमानुसार प्रकरण का निराकरण दर्ज किया जावेगा एवं पात्र हितग्राहियों हेतु प्रारूप "ग" की जानकारी अद्यतन की जावेगी। |
- ❖ अंतिम जानकारी सारा पोर्टल पर अवलोकन/पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट करने हेतु उपलब्ध होगी



विशेष (स्वामित्व योजना) :-

- ❖ स्वामित्व योजना का कार्य लगातार प्रगतिरत है।
- ❖ भू अधिकार प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट होगा की आवेदक को विधि अनुसार आबादी भूमि में भूमि 2018 के उपरांत आवंटित हुई है ।
- ❖ यदि भू-खण्ड वर्तमान आबादी भूमि में दिया गया है, तो ड्रोन सर्वे के पूर्व चूना मार्किंग कर आवंटित भू-खण्ड को चिन्हांकित किया जावे, जिससे अधिकार अभिलेख, खसरा आदि में आवंटिति का नाम अंकित हो सके।
- ❖ यदि पृथक आबादी घोषित कर ले-आउट स्वीकृत किया है, तो ड्रोन फ्लाई के पूर्व ले-आउट अनुसार चूना मार्किंग सुनिश्चित किया जावें।



Thank You...